न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 175/2021

1. लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड न. 4 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र समुन्दर लाल जाति नाई साकिन दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

1. समनदीप पत्नि सतनाम सिंह जाति जट सिख साकिन वार्ड न. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.

2. रतन लाल पुत्र श्री मनीराम जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

3. स्टेट जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सोहन लाल सुथार	प्रार्थी
2. श्री राजन्द्र पटीर	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30-12-24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री सोहन लाल सुथार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजिकृत पता शीर्षक प्रार्थना पत्र में विर्णितानुसार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम तह0 पीलीबंगा में निम्न प्रकार कृषि भूमि है–

लक्ष्मीनारायण –चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 103/115 प0न0 33/309(31)किला न0 7 ता 9 = 0.7590 है. कमान्ड खातेदारी

विनोद कुमार–चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 112/86 मु0न0 33/309(31) 6/2 = 0. 1270 है. कमान्ड खातेदारी

रतन लाल–चक 13 पीबीएन के खाता संख्या [illegible]0न0 33/309 (31) किला न0 6/1 = 0.1260 है. कमान्ड खाते[illegible] [illegible]2078 प्रमाणित प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित कृषि भूमि में [illegible]र प्रार्थीगण को अपनी कृ[illegible]जाने के लिए किसी भी प्रकार का स्वीकृत रास्ता नहीं है। रास्ता चक 13 पीबीएन के प.न. 33/309 (31) में किला न. 5, 6, 15, 16 व 25 के दुसरे मुरबा में सडक है जिससे किला न. 6 में से प्रार्थी ने रास्ता ले रखा है। जिसको प्रार्थी रास्ते के रूप में मंजूर करवा कर रिकार्ड में रास्ता

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी नियमानुसार डी एल सी की राशी अदा करने को तैयार है। जो रास्ता चाहा गया है. वो निम्न प्रकार है

विनोद कुमार से चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 112 / 86 33/309(31) 6/2 = 0.1270 है. कमान्ड खातेदारी में से मध्य में पूर्व से पश्चिम में 0.0125 है. रतन लाल के चिपती हुई।।

रतन लाल से चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 112/86 33/309(31) 6/1 = 0.1260 है. कमान्ड खातेदारी में से मध्य में पूर्व से पश्चिम में 0.0125 है. विनोद कुमार के चिपती हुई।

यह कि प्रार्थीगण जिस रास्ता का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है के अनुसार रास्ता मजुर करवाने के लिए कहा तो स्पष्ट इन्कार हो गये। यही प्रार्थना पेश करने का कारण है।

यह कि प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि पैरा 3 में वर्णितानुसार रास्ता को मंजूर कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें व इसी कदर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज किया जावे। प्रार्थी इसी कदर क्षतिपुर्ती देने के लिए तैयार है। श्रीमान जी कि अतिः कृपा होगी। विवादित भूमि श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार की है व उचित कोर्ट फीस . पर प्रस्तुत की गयी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि बैय करने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र बाद स्वीकार होने पर अप्रार्थी संख्या 1 समनदीप एवं अप्रार्थी संख्या 2 रतन लाल को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया सं. 1 की और से निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है। प.नं. 33/309 के किला नं. 4 व 5 में आवासीय कॉलोनी कटी है जिसके किला नं. 4 की पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता मौका पर सड़क बनाकर चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है। मिन अप्रार्थीया की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थीया की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उतर दिशा में 3–4 सड़के लग रही है जो किला नं. 7, 8, 9 में लगती है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर सकता है। उक्त रास्ते प्राथीं के लिये सुवि[illegible] के चिपते ही है। प्रार्थी को नये रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यक्ता नही है [illegible] मात्र मिन अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना [illegible] काविल खारिज के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी [illegible] अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है। प.नं. 33/309 के किला नं. 4 व 5 में आवासीय कॉलोनी कटी है जिसके किला नं. 4 की पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता मौका पर सड़क बनाकर चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है द्य उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सुविधाजनक है। मिन अप्रार्थीया की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थीया की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उतर दिशा में 3–4 सड़के लग रही है जो किला नं. 7, 8, 9 में लगती है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर सकता है। उक्त रास्ते प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है व उसकी कृषि भूमि के चिपते ही है। प्रार्थी को नये रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यक्ता नही है। प्रार्थी ने मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये दफा हाजा में मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दर्शाया है जबकि प्रार्थी को कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण हासिल नही है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काविल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है। प.नं. 33/309 के किला नं. 4 व 5 में आवासीय कॉलोनी कटी है जिसके किला नं. 4 की पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता मौका पर सड़क बनाकर चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उतर दिशा में 3–4 सड़के लग रही है जो किला नं. 7, 8, 9 में लगती है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर सकता है। उक्त रास्ते प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है व उसकी कृषि भूमि के चिपते ही है। प्रार्थी को नये रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यक्ता नही है। मिन अप्रार्थी की कृ षि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की और से निम्न प्रकार से है :– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्व करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है जो किला नं. 15 में उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाने का हकदार है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। जो सबसे सुविधाजनक रास्ता है उस रास्ता को प्रार्थी स्वीकृत करवाने व पाने का अधिकारी है। रा.का.अधि. की धारा 251–क में विशेष कथन है कि [illegible] रास्ते को स्वीकृत करवाया जावे। प्रार्थी ने मात्र मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी के पास सुविधाजनक व चालू रास्ता किला नं. 15 में उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व उक्त रास्ता को प्रार्थी स्वीकृत करवा सकता है। प्रार्थी ने मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये दफा हाजा में मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दर्शाया है जबकि प्रार्थी को कोई

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण हासिल नही है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है जो किला नं. 15 में उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम चालू है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाने का हकदार है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने किला नं. 6 के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो वह स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट पत्रांक 628 दिनांक 22.08.2024 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा मौका पर चक 13 पीबीएन प.नं. 33/309(31) में प्रार्थी के कि.नं. 7 ता 9 कुल जमा 3.00 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जबकि उक्त बीघा हेतू नजदीक किला नं. 6/1 = 0.126 हैक्ट. भूमि रतनलाल वल्द मनीराम कौम बाहम्ण जबकि कि.नं. 6/2 = 0.127 हैक्ट. समनदीप पत्नि सतनाम सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं.25 पीलीबंगा के नाम दर्ज है। जहॉ के बीचो–बीचो से प्रार्थी रास्ता लेना चाहता है जबकि उक्त मुरब्बा के चारो तरफ सद्यन आबादी है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि मुताबिक प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किया जाये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता स्वीकृत करने पर सहमती व्यक्त की गई। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

आदेश

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार चक 13 पीबीएन प.नं. 33/309(31) में प्रार्थी के कि.नं. 7 ता 9 कुल जमा 3.00 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जबकि उक्त बीघा हेतू नजदीक किला नं. 6/1 की 0.126 हैक्ट. भूमि रतनलाल वल्द मनीराम कौम बाहम्ण जबकि कि.नं. 6/2 की 0.127 हैक्ट. समनदीप पत्नि सतनाम सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं.25 पीलीबंगा के नाम दर्ज है। जहॉ के बीचो–बीचो से प्रार्थी रास्ता लेना चाहता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में रास्ता स्वीकृती हेतु जमीन के बदले जमीन पर सहमती व्यक्त की है। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर जमीन के बदले जमीन प्रतिफल के रूप में देने पर अप्रार्थीगण की सहमती के आधार पर राजस्व काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 112 / 86 33/309(31) 6/2 = 0.1270 है. कमान्ड खातेदारी में से मध्य में पूर्व से पश्चिम व 0.0125 है. [illegible] के रकबा से चिपती हुआ व चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 112/86 33/309(31) 6/1 = 0.1260 है. कमान्ड खातेदारी में से मध्य में पूर्व से पश्चिम [illegible] से चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं राजस्थान [illegible] पत्र सितम्बर 06, 2023 विधि विभाग ग्रुप–2 अधिसूचना राजस्थान अभिधृत अधिनियम 2023 के बिन्दु संख्या 3 में 1955 के राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क का संशोधन कर मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा 1 के तहत प्रतिकर के संदाय की एवज में अप्रार्थी की भूमि के लगती हुई भूमि के समान अन्तरण किये जाने के तहत प्रार्थी के नाम चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 103/115 प0न0 33/309(31)किला न0 7 की पूर्व दिशा में अप्रार्थीया समनदीप के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रकबा किला न. 6/2 को चिपती हुई 0.127 है0 समनदीप के नाम दर्ज किया जावे एवं इसी प्रकार प्रार्थी के नाम चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 103/115 प0न0 33/309(31)किला न0 7 की पूर्व दिशा में अप्रार्थी रतन लाल के किला न0 6/1 के चिपती हुई 0.126 है0 अप्रार्थी रतन लाल के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30-12-24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested